कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुलतानपुर।

पत्रांक– 2217 / 14-10 , दिनांक सुलतानपुर 13-1- 2022

सेवा में,

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल,
डेवलपमेन्ट अथारिटी सी–13 द्वितीय तल
पर्यटन भवन, विपिन खण्ड,गोमती नगर,
लखनऊ, 226010

विषयः– **जनपद सुलतानपुर में पूर्वान्चल एक्प्रेसवे के कि0मी0 संख्या–121+870 पर क्रास कर रहे एन0एच0 330 प्रयागराज–अयोध्या राजमार्ग पर सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु एक्सप्रेसवे के लूप के प्रवेश/निकास पर फ्लाई ओवर/बायाडक्ट के निर्माण हेतु आवागमन से प्रभावित 4.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 701 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक–8बी/UP/06/243/2021/FC/630 दिनांक 07.01.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–2086/11–सी–FP/UP/Road/ 144211/2021 दिनांक 11.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो आपको एंव इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कि0मी0 121+870 पर क्रास कर रहे एन0एच0 330 प्रयागराज–अयोध्या राजमार्ग पर सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु एक्सप्रेसवे के लूप के प्रवेश/निकास पर फ्लाई ओवर/बायाडक्ट के निर्माण हेतु आवगमन से प्रभावित 4.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 701 वृक्षों/पौधों के पातन की कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धन्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से निम्न प्रकार आप द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	धनराशि का मद	धनराशि
1	प्रभावित संरक्षित वन भूमि 4.80 हे0 का नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0)	45,97,344.00
2	प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दोगुने भूमि 10.07 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	65,81,500.00
	योग	111,78,844.00

50/virenn/ Com3

यह धनराशि अन्तरिम है। शासन द्वारा अन्तिम दरें तय किये जाने पर अतिरिक्त धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से देय होगी। सन्दर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित शेष अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार भरकर एवं उपरोक्त धनराशि जमा किये जाने की पावती रसीद सहित पांच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानि की वन प्रभाग
सुलतानपुर।

पत्रांक 2217 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0, कैम्पा, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
3. वन संरक्षक सरयू वृत्त उ0प्र0 अयोध्या।

(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानि की वन प्रभाग
सुलतानपुर।

51/virenn/ Com3